[19/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 4104]

परिशिष्ट – 1

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462002

क्र. एफ–52/1/10/यो/19 – 53 भोपाल, दिनांक 03.01.2011/4

प्रति,

समस्त मुख्य अभियन्ता
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :– निविदा आमंत्रण सूचना के साथ विशेष शर्तो को संलग्न करने बावत्।

****

शासन स्तर पर कतिपय प्रकरणों में यह जानकारी में आया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना प्रस्तुत/अनुमोदित करते समय विशेष शर्तों को स्वविवेक से जोड़ा जा रहा है। यद्यपि निविदा आमंत्रण सूचना में विशेष शर्ते लगाये जाने का प्रावधान है परन्तु इसका आशय यह है कि केवल वही विशेष शर्ते लगाई जावें जिनके लिये शासन/प्रमुख अभियन्ता ने विशिष्ट रूप से निर्देशित किया है; स्वविवेक अथवा कार्य की सुविधा की दृष्टि से किसी भी अन्य शर्त को लगाया जाना नियमों के विरूद्ध होता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि निविदा के साथ केवल शासन/प्रमुख अभियन्ता द्वारा अनुमोदित शर्तों को निविदा आमंत्रण सूचना के साथ संलग्न किया जावे अन्यथा निविदा आमंत्रण सूचना प्रस्तुत करने वाले एवं अनुमोदित करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी तथा यदि ऐसे प्रकरणों में शासन पर अतिरिक्त वित्तीय दायित्व उद्भूत होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदा आमंत्रित एवं अनुमोदित करने वाले अधिकारियों की रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर) 3/1/2011
(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ.क्र. एफ–52/1/10/यो/19 – 54 भोपाल, दिनांक 03.01.2011/4

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।

(हस्ताक्षर) 3/1/2011
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

(हस्ताक्षर) 11/7/2024
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय